न्यायालय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा,

(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद

R.J.S.(D.J. Cadre)

दीवानी अपील संख्या 36/2025

01. गोकुल पाटीदार पिता रामेंग पाटीदार, आयु 60 वर्ष, निवासी वल्लभ चौक, बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
02. रवीन्द्र पाटीदार पिता अक्षयराज पाटीदार, आयु 37 वर्ष, निवासी सुथार कोट, बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा - अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

01. अमरजी पाटीदार पिता हामेंग पाटीदार, निवासी वल्लभ चौक, बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
02. कचरूलाल पाटीदार पिता देवेंग पाटीदार, निवासी बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा - प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2025 सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा के पीठासीन अधिकारी श्री अरूण प्रकाश आर्य, आर.जे.एस. द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 35/2019 (CIS No. 35/2019), गोकुल पाटीदार एवं अन्य बनाम अमरजी पाटीदार एवं अन्य से असंतुष्ट व व्यथित होकर प्रस्तुत अपील

दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रतिनिधित्व -

1. श्री राकेश पाटीदार, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से
2. श्री महेन्द्र गांधी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 29 अप्रैल, 2026

1. यह अपील अपीलार्थीगण/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा के पीठासीन अधिकारी श्री अरूण प्रकाश आर्य, आर.जे.एस. द्वारा मूल दीवानी प्रकरण संख्या 35/2019 गोकुल पाटीदार एवं

अन्य बनाम अमरजी पाटीदार एवं अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2025 के विरूद्ध पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम बागीदौरा के मूल एवं स्थाई निवासी होकर आम प्रबुद्ध नागरिक है तथा ग्राम बागीदौरा के हरिजन बस्ती में आनन्दपुरी से बाँसवाड़ा जाने वाली स्टेट हाईवे मुख्य डामर सडक से लगी रोड किनारे की भूमि संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ के मार्क अ, ब, स, द भूखण्ड संख्या 1, जिसकी कुल साईज 2156 वर्गफीट व मार्क अ, स, य, र भूखण्ड संख्या 2, जिसकी कुल साईज 1681 वर्गफीट की भूमि, जिसकी हद्‌द पूर्व में रमण व नाथु हरिजन का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में बागीदौरा से आनन्दपुरी मुख्य डामर सडक एवं दक्षिण में लालु हरिजन व हरिजन बस्ती के मकानात स्थित है। उक्त भूमि ग्राम बागीदौरा के आराजी सर्वे नम्बर 621/3744 रकबा 8.47 हैक्टेयर गैरमुमकिन आबादी की भूमि का अंश व हिस्सा है। उक्त भूमि हरिजन बस्ती के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग व याचीगण तथा गांव के अन्य नागरिकों के खलिहान के रुप में वर्षों से भी अधिक पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग में चली आ रही है, जो कि सडक सीमा की भूमि है, जिसे सारा गांव जानता है। प्रतिवादीगण ने अवैध व अनधिकृत रूप से नक्शा परिशिष्ट-अ के भाग अ, ब, स, द एवं अ, स, य, र पर बिना किसी हक, अधिकार तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति के स्टेट हाईवे मुख्य सडक की भूमि को संकरी कर अवैध अतिक्रमण करते हुए आम सडक की भूमि पर तीन माह पूर्व पत्थर, रेती व निर्माण सामग्री डालकर अवैध रूप से परकोटा बनाने लगे, जिस पर विकास अधिकारी, तहसील बागीदौरा को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण द्वारा कुछ दिन काम रोक दिया, लेकिन पुनः विगत पाँच दिनों से प्रतिवादीगण द्वारा पुनः चूने से लाईन डालकर एवं कॉलम खोद कर नक्शा परिशिष्ट-अ के भाग अ, ब, स, द एवं अ, स, य, र पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने की तैयारी करते हुए काम शुरु कर दिया है। वादीगण एवं मौहल्ले के लोगों द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादीगण व उनके परिजन नहीं मान रहे है तथा धमकीया दे रहे है कि उन्हे जो करना हो कर लो, वे वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करके रहेंगे तथा सडक को संकरी कर कब्जा करके रहेंगे, वे किसी से नहीं डरते है, पंचायत पूरी उनकी है, वे जैसा चाहेंगे, वैसा होगा, कहते हुए तीव्र गति से निर्माण कार्य शुरु कर दिया है। नक्शा परिशिष्ट-अ के उत्तर दिशा के भाग य, अ, ब की सम्पूर्ण भूमि स्टेट हाईवे की होकर बागीदौरा से आनन्दपुरी मुख्य सड़क की भूमि है, जिसके मध्य बिन्दु से 40 मीटर अर्थात् 132 फिट तक की जमीन सडक की सीमा होकर किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य कानूनन नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने मुख्य सडक के मध्य बिन्दु से मात्र 26 फिट छोडकर आम

सडक की भूमि को संकडा कर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य जबरन शुरु किया है। प्रतिवादीगण रसूखदार होकर वादीगण व ग्रामीणों द्वारा मना करने के बाद भी निर्माण सामग्री एकत्रित कर अवैध निर्माण करवा रहे है तथा धमकीयां दे रहे है कि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की तो उनके परिवारवाले उन्हे छोडेंगे नहीं, उन्हें जो करना हो करो, वे निर्माण करके रहेंगे। प्रतिवादीगण को जनहित में स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है, जिससे वादीगण द्वारा लोक न्यूसेंस व दोषपूर्ण कार्य होने की दशा में आम जनता पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना होने से जनहित में यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध व अनधिकृत रुप से एकत्रित की गई निर्माण सामग्री को हटाकर अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से वादीगण द्वारा यह बाद प्रस्तुत है। संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ वादपत्र का भाग है। प्रतिवादीगण को तत्काल नहीं रोका गया तो वादीगण, ग्रामवासियों व आम जनता को ऐसी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी भरपाई धन में नहीं आंकी जा सकेगी। सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में होकर वादीगण का प्रथमदृष्ट्या मामला है। वाद का व्यवहार कारण प्रतिवादीगण द्वारा अवैध व अनधिकृत रुप से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ के भाग अ, ब, स, द एवं अ, स, य, र पर स्टेट हाईवे आम सडक आनन्दपुरी-बाँसवाडा की भूमि को संकडा करने हेतु तीन माह पूर्व निर्माण सामग्री एकत्रित कर अवैध परकोटा बनाने व पुनः विगत पाँच दिनों से प्रतिवादीगण द्वारा पुनः चूने से लाईन डालकर एवं कॉलम खोदकर नक्शा परिशिष्ट-अ के भाग अ, ब, स, द एवं अ, स, य, र पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने की तैयारी करते हुए काम शुरु करने से व अवैध व अनधिकृत रुप से निर्माण सामग्री डालकर निर्माण धमकियां देने से उत्पन्न हुआ है। वादीगण का वाद जनहित में होकर अर्जेन्ट नेचर का होने से वाद प्रस्तुति करने हेतु पृथक से अनुमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिससे अंत में वादीगण के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया कि पेश दावे के नक्शा परिशिष्ट-अ के मार्क अ, ब, स, द, य, र पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से निर्माण कार्य या कब्जा करने से रोका जावे एवं स्टेट हाईवे सडक की भूमि को अतिक्रमण कर सकडा नहीं करे तथा भविष्य में भी कोई निर्माण कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं एवं न ही उनके सेवक, अभिकर्ता, परिजन या ईष्ट मित्रों से करे। दौराने वाद प्रस्तुति प्रतिवादीगण जबरन कोई निर्माण कार्य कर ले तो उसे आदेशात्मक व्यादेश द्वारा हटाने के तथा निर्माण सामग्री जब्त कर हटाने के आदेश प्रदान किये जाये।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि सार्वजनिक उपयोग की न होकर खलिहान के रूप में उपयोग नही की

जा रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 अमरजी पाटीदार की स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड 30 फीट X 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट का होकर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 05.04.1988 को ग्राम पंचायत बागीदौरा से पक्का कोट (परकोटा) बनाने की स्वीकृति लेकर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा पक्का कोट (परकोटा) बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि आराजी सर्वे नम्बर 307 में स्थित है, जिसका नया नम्बर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि पर कब्जा 50 वर्ष से अधिक पुराना होने से मालिक होने से 05.04.1988 को ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा नियमानुसार स्वीकृति दी गई है। उक्त पक्का कोट (परकोटा) पुराना होने से अत्यधिक बारिश होने से गिर गया था, जिसको प्रतिवादी नम्बर 1 ने बिखर कर नया पक्का कोट (परकोटा) बना रहा है, जो कि प्रतिवादी नम्बर 1 के स्वामित्व व कब्जे की भूमि है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा मोके स्थिति के अनुसार न होकर अस्वीकार है, जिससे चरण में वर्णित समस्त कथन अस्वीकार है। प्रतिवादी की उक्त भूमि मुख्य सड़क की भूमि नही है तथा वादपत्र के साथ सलग्न नक्शा वादीगण का मोके की स्थिति के अनुसार नही है, जिससे वादीगण के हक में प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं है, सुविधा का सन्तुलन वादीगण के हक में नहीं है। वादीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है, अपितु प्रतिवादी अमरजी को स्वयं की भूमि के उपयोग उपभोग में वादीगण व्यवधान पैदा कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि सार्वजनिक उपयोग की न होकर खलिहान के रूप में उपयोग नहीं की जा रही है। प्रतिवादी नम्बर 2 कचरू पाटीदार वृद्ध व्यक्ति होकर लगभग 80 वर्ष की आयु का है तथा प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का पुराने गृह का विनियमितीकरण वाके ग्राम बागीदौरा का पट्टा 50 फीट X 40 फीट कुल 2000 वर्गफीट आराजी सर्वे नम्बर 621/3744 रकबा 8.47 हेक्टर गैर मुमकीन आबादी ग्राम बागीदौरा की भूमि का अंश है, जिसका पट्टा प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बागीदौरा मिसल संख्या 27 दिनांक 28.01.2006 को दर्ज होकर पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.01.2009 को प्रतिवादी नम्बर 2 के हक में जारी किया गया। उक्त पट्टे का पंजीयन उप एक, बागीदौरा द्वारा दिनांक 21.12.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 65 में पृष्ठ संख्या 157 क्रम सं. 2009001276 पर पंजीयन किया गया है तथा उक्त पुराने गृह/प्लॉट की वर्तमान हदुद पूर्व नाथु हरीजन का मकान, पश्चिम रास्ता, उत्तर रोड, दक्षिण हरिजन बस्ती है, जिस पर प्रतिवादी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा होकर मालिक है, जिससे चरण में वर्णित समस्त कथन अस्वीकार है। प्रतिवादी की उक्त भूमि मुख्य सड़क की भूमि नही है तथा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा बादीगण का मोके की स्थिति के अनुसार नही है, जिससे वादीगण के हक में प्रथमदृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का

संतुलन नहीं है। वादीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है, अपितु प्रतिवादी कचरूलाल को स्वयं की भूमि के उपयोग-उपभोग में वादीगण व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिससे वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

3. विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये। तत्पश्चात् वादी के द्वारा मौखिक साक्ष्य में वादी साक्षी संख्या 01 गोकुल पाटीदार एवं वादी साक्षी संख्या 02 रामेंग को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 07 दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 अमरजी, प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 कचरूलाल, प्रतिवादी साक्षी संख्या 03 दिनेश एवं प्रतिवादी साक्षी संख्या 04 कोदरलाल को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य कुल 08 दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आक्षेपित निर्णय/डिक्री पारित की जाकर वादी का वाद-पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित व असंतुष्ट होकर वादी/ अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. दौराने बहस अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति बांसवाड़ा-आनन्दपुरी स्टेट हाईवे से लगी हुई होकर सड़क से मात्र 26 फीट की दूरी पर स्थित है। दस्तावेज प्रदर्श 02 मौका पर्चा, दस्तावेज प्रदर्श डी.01 एवं प्रदर्श डी.05 वादग्रस्त भूखण्ड बांसवाड़ा-आनन्दपुरी स्टेट हाईवे से लगी हुई होकर 26 फीट दूरी पर स्थित होना स्वीकृत तथ्य होने के बावजूद वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य होना साबित माना गया है, परन्तु स्टेट हाईवे की सड़क सीमा से भीतर निर्माण कार्य किया जाना साबित नहीं मान कर विधि एवे तथ्यों की भूल कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। वादग्रस्त भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में प्रतिवादी अमरजी के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 के लागू होने से पूर्व निर्माण होना एवं उक्त भूमि व ढांचे की लम्बाई-चौड़ाई व उंचाई में कोई परिवर्तन किया जाना साबित नहीं माना गया है, परन्तु दस्तावेज के अनुसार मौके पर नया निर्माण कार्य वाद प्रस्तुत करने से ठीक पूर्व होना साबित हुआ है। मौका पर्चा प्रदर्श 02 के अनुसार भूखण्ड संख्या 01 पर प्रतिवादी कचरूलाल पाटीदार एवं भूखण्ड संख्या 01 पर प्रतिवादी अमरजी द्वारा पत्थर भी डाल कर नींव भर कर पक्का निर्माण कार्य किया जाना अंकित है। यदि वादग्रस्त भूखण्ड पर पूर्व से कोई निर्माण होता तो नये सिरे से नींव नहीं भरी जाती। वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, से भूखण्ड 30X45 फीट कुल 1350 वर्गफीट का क्षेत्रफल है, जबकि प्रतिवादी कचरूलाल ने भूखण्ड 50X40 फीट कुल 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल का है जो पर्चा प्रदर्श 02 में अंकित

लम्बाई-चौड़ाई से भिन्न होने से प्रतिवादीगण को राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 की धारा 20(1) का लाभ प्राप्त नहीं होना मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांकित 02.04.1988 के अनुसार भूखण्ड की पूर्व दिशा में पड़त भूमि अंकित है। दस्तावेज प्रदर्श 05 व 06 के अनुसार भूखण्ड की पश्चिम दिशा में आम रास्ता होना अंकित है। प्रतिवादी अमरजी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में पूर्व दिशा में वर्ष 1988 में पड़त भूमि थी, परन्तु कोई मकान निर्मित नहीं था जबकि प्रतिवादी कचरूलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वर्ष 2009 में भूखण्ड के पश्चिम में रास्ता अंकित है। मौका पर्चा प्रदर्श 02 को विश्वसनीय नहीं माना गया है जोकि वादग्रस्त भूखण्ड एक-दूसरे से सटे हुए हैं। प्रतिवादी अमरजी के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जबकि प्रतिवादी कचरूलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है जिससे कचरूलाल के स्वामित्व दूषित हो जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स को द्वितीयक साक्ष्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स मौके के नहीं होने बाबत कोई आपत्ति नहीं रही है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर तर्क दिया कि दिनांक 20.08.2025 को विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। वादीगण कृषि कार्य में व्यस्त रहने तथा भारी वर्षा होने के कारण उन्हें निर्णय की जानकारी दिनांक 18.09.2025 को प्राप्त होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 19.09.2025 को प्राप्त हुई। दिनांक 20.09.2025 को अधिवक्तागण के हड़ताल पर होने, दिनांक 21.09.2025 व 22.09.2025 को अवकाश होने, तत्पश्चात् दिनांक 23.09.2025 से 26.09.2025 तक विधिक राय प्राप्त करने में व्यस्त रहने से एवं दिनांक 28.09.2025 को अवकाश होने, दिनांक 29.09.2025 को अपील तैयार करने से एवं दिनांक 30.09.2025 से 02.10.2025 तक अवकाश रहने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। विलम्ब का कारण सत्य एवं सद्भाविक है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूखण्ड पर जबरन कोई निर्माण कार्य नहीं करने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद के दौरान एवं अपील के दौरान कोई निर्माण कर लिया है तो उसे आदेशात्मक व्यादेश द्वारा हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण के द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से मियाद वर्जित होने के कारण अपील को अस्वीकार किया जावे। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि धारा 91 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया है। वादग्रस्त

भूमि राजमार्ग की नहीं रही है। हरिजन बस्ती में से किसी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के पास हरिजन बस्ती है। अतएव अपील अस्वीकार किया जावे।

5. तर्कों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर देखा जावे तो विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.08.2025 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 03.10.2025 को अर्थात् 43 दिन के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। ऐसे में अपील प्रस्तुत किये जाने की नियत अवधि 30 दिवस से भी 13 दिवस के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में अपीलार्थी की ओर से कृषि कार्य में व्यस्त रहने तथा भारी वर्षा होने के कारण उन्हें निर्णय की जानकारी दिनांक 18.09.2025 को अर्थात् करीब 01 माह पश्चात् होना बताया है तथा निर्णय की नकल दिनांक 19.09.2025 को प्राप्त होना कहा है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा निर्णय की नकल प्राप्त होने के भी 15 दिवस के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से निर्णय की दिनांक 20.08.2025 को वादीगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा वादीगण द्वारा प्रकरण में बताये अनुसार बागीदौरा में ही निवासरत होना सामने आया है। ऐसे में यह तथ्य स्वाभाविक एवं सत्य प्रतीत नहीं होता है कि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं दी गई हो अथवा करीब 01 माह पश्चात् दिनांक 18.09.2025 को दी गई हो। यदि तर्क के रूप में कृषि का समय एवं भारी वर्षा के तथ्य को मान भी लिया जावे तो इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में वर्तमान तकनीकी युग में जहां मोबाईल, ई-मेल एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से कुछ सैकण्ड में देश-विदेश में सूचना का आदान-प्रदान हो सकता है, वहां अपीलार्थीगण का तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि आक्षेपित निर्णय पारित होने के करीब 01 माह तक निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई, जबकि निर्णय की दिनांक 20.08.2025 को अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में संचालित ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कोई भी पक्षकार बड़ी सुगमता एवं सरलता से अपने मामले की वर्तमान स्थिति एवं निर्णय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में वर्तमान परिदृश्य में अपीलार्थीगण का अपने मामले में पारित निर्णय की जानकारी करीब 01 माह तक नहीं होना तथा निर्णय की जानकारी होकर नकल प्राप्त करने के पश्चात् भी 15 दिन का विलम्ब कारित होना अपीलार्थीगण की अपने मामले के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब के जो कारण बताये हैं, वे सद्भाविक एवं युक्तियुक्त नहीं पाये जाने से,

अपील प्रस्तुत करने हुआ विलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य नहीं रह जाता है तथा अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का एतदद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रकरण को गुणावगुण पर भी देखा जावे तो विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विरचित किये गये विवाद्यकों को एकसाथ निस्तारित किया जा रहा है। विवाद्यकों को साबित करने का भार वादीगण/अपीलार्थीगण पर है। विवाद्यक संख्या 01 के क्रम में वादी को यह साबित करना है कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में व संलग्न नक्शे में मार्क अ, ब, स, द एवं मार्क अ, स, य, र पर स्टेट हाईवे मुख्य सड़क की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या वादग्रस्त भूमि स्टेट हाईवे की भूमि है ? वादी साक्षी संख्या 01 गोकुल पाटीदार ने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ हरिजन बस्ती के मकान बने हुए हैं। यह भी स्वीकार किया है कि हरिजन बस्ती के मकान 20-25 फीट को छोड़ कर बने हुए हैं। यह भी स्वीकार किया है कि हरिजन बस्ती के मकान 50-100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श 05 में वर्णित सर्वे नंबर 621/3744 रकबा 8.47 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी रूप में दर्ज है। यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन प्रदर्श 05 में वर्णित भूमि रकबे का हिस्सा है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श 05 में वर्णित भूमि में पूरा बागीदौरा गांव बसा हुआ है। यह भी स्वीकार किया है कि गांव बागीदौरा पहले बसा हुआ था, बागीदौरा से आनन्दपुरी सड़क बाद में निकली है। वादी साक्षी संख्या 02 रामेंग ने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि बागीदौरा- आनन्दपुरी ग्राम पहले बसा, सड़क बाद में निकली है। हरिजन बस्ती 100 वर्ष थे, अधिक पुरानी है। हरिजन बस्ती 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। वादग्रस्त भूमि हरिजन बस्ती में है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर हरिजन बस्ती है मकान हैं। वादग्रस्त भूमि पास हरिजन बस्ती मुख्य सड़क से 25 फीट छोड़ कर बनी हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 05 जमाबंदी का अवलोकन करने पर खसरा संख्या 621/3744 की 8.47 हैक्टेयर भूमि को नाकाबिल काश्त गैरमुमकिन आबादी भूमि बताया है। वादीगण की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज मौका पर्चा प्रदर्श 02 के अवलोकन से भी खसरा संख्या 621/3744 की 6.47 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन आबादी भूमि होना अंकित किया गया है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य तो साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 621/3744 की भूमि होकर गैरमुमकिन आबादी भूमि की श्रेणी में है, परन्तु यह भूमि स्टेट हाईवे की भूमि हो

अथवा स्टेट हाईवे आथोरिटी के नाम दर्ज की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के गैरमुमकिन आबादी होने का प्रश्न है, तो न्यायालय के विनम्र मत में स्वयं वादीगण ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा केवल नींव खोद कर बाउण्ड्री बनाये जाने का अंकन किया है, जो बाउण्ड्री खेत, पशुगृह, खलिहान आदि की सुरक्षा के लिये भी बनाई जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है कि भूमि का उपयोग आबादी के रूप में किया जा रहा हो जहां कि प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 अमरजी ने प्रति-परीक्षण में यह स्पष्टतः अस्वीकार किया है कि मौके पर आरसीसी के कॉलम खड़े किये हों, स्वयं ने कहा कि मिट्टी और पत्थर से कोट निर्माण कर रहे।

7. जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लोक न्यूसेंस कारित करने से वादीगण को प्रतिनिधित्व वाद लाने के अधिकार का प्रश्न है, के संबंध में सर्वप्रथम तो वादीगण वादग्रस्त भूखण्ड को स्टेट हाईवे की भूमि साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण के गवाह वादी साक्षी संख्या 01 गोकुल पाटीदार एवं वादी साक्षी संख्या 02 रामेंग ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि गांव बागीदौरा पहले बसा हुआ था, बागीदौरा से आनन्दपुरी सड़क बाद में निकली है। हरिजन बस्ती 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। वादग्रस्त भूमि हरिजन बस्ती में है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर हरिजन बस्ती है मकान हैं। हरिजन बस्ती के मकान 50-100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि स्टेट हाईवे बनने के पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि स्थित है, जिसका उपयोग-उपभोग प्रतिवादीगण करते चले आ रहे हैं। स्टेट हाईवे बनने से पूर्व वादग्रस्त भूखण्ड की क्या स्थिति रही, इस संबंध में वादीगण की ओर से कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रतिवादी साक्षी संख्या 03 दिनेश ने प्रति-परीक्षण में यह स्पष्ट कथन किया है कि विवादग्रस्त स्थान पर अमरजी व कचरूलाल का मकान था। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत विनियमितिकरण का दस्तावेज प्रदर्श डी.01 के अवलोकन से खसरा संख्या 621/3744 रकबा 8.47 हैक्टेयर में स्थित 2000 वर्गफीट भूमि का विनियमितिकरण कर पंजीयन करवाया गया है जिसके उत्तर दिशा में बागीदौरा से आनन्दपुरी रोड़ बताई गई है जो विनियमितिकरण का पट्टा प्रदर्श डी.02 भी प्रस्तुत किया गया है तथा तामीर स्वीकृति का आदेश प्रदर्श डी.03 है। जिन साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का विनियमितिकरण करवाया जाकर पट्टा पंचायत समिति से प्राप्त कर तामीर स्वीकृति भी नियमानुसार प्राप्त की गई है, जिन साक्ष्यों का कोई खण्डन भी

वादीगण की ओर से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूखण्ड पर अतिक्रमण करने का तथ्य साबित नहीं होता है।

8. प्रकरण में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, न ही यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य से किसी भी प्रकार से सार्वजनिक मार्ग बाधित हो रहा हो अथवा आमजन को कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो। इस संबंध में स्वयं वादी साक्षी संख्या 01 गोकुल पाटीदार ने प्रति-परीक्षण में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ हरिजन बस्ती के मकान बने हुए हैं। हरिजन बस्ती के मकान 20-25 फीट को छोड़ कर बने हुए हैं। प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 अमरजी ने प्रति-परीक्षण में यह स्पष्ट कथन किया है कि विवादित भूखण्ड से सडक की दूरी 30-31 फीट है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय की कंडिका संख्या 09 में राजस्थान राजमार्ग अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का अंकन करते हुए विस्तृत व्याख्या की है, जिस व्याख्या से यह न्यायालय भी अपनी सहमति व्यक्त करता है, जिसके अनुसार अधिनियम, 2014 की धारा 20(1) के तृतीय परन्तुक के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू होते हैं जहां कि स्वीकृत रूप से वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रतिवादीगण का पुराने समय से कब्जा होकर उपयोग-उपभोग करना सामने आया है तथा वादग्रस्त स्थल के पास स्थित हरिजन बस्ती का 50-100 वर्षों से होना साक्षीयों ने स्पष्ट रूप से बताया है, जो वादग्रस्त स्थल हरिजन बस्ती का ही भाग होना भी स्वीकार किया है।

ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

9. विवाद्यक संख्या 03 के क्रम में यह देखना है कि क्या वादीगण का वाद प्रतिनिधित्व वाद होने से बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के भी पोषणीय है, में विधिक बिन्दु निहित होकर यह देखना है कि क्या वादीगण का वाद प्रतिनिधित्व वाद है, के संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मान्य न्याय दृष्टांत हरि राम बनाम ज्योति प्रसाद एवं अन्य एआईआर 2011 एससी 952 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में विस्तृत विवेचन किया जाकर विवाद्यक संख्या 03 के वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया है, जिस निष्कर्ष से यह न्यायालय भी अपनी सहमति व्यक्त करता है। हालांकि वादीगण विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 के विवेचनानुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड पर अतिक्रमण करने अथवा कोई लोक न्युसेंस कारित करने के तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं, परन्तु हस्तगत वाद वादीगण की ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा मान्य न्याय दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि सार्वजनिक सड़क पर

अतिक्रमण् हटवाने के लिये प्रभावित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वाद दायर कर सकता है, ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद के चाहे गये अनुतोष के आधार पर विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता है जहां चाहा गया अनुतोष विचारण की विषयवस्तु है।

अनुतोष -

10. वादीगण विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं तथा विवाद्यक संख्या 03 को साबित करने में सफल रहे हैं। वादीगण, प्रतिवादीगण द्वारा स्टेट हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण करने तथा लोक न्युसेंस कारित करने के तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

11. अपीलार्थीगण/वादीगण गोकुल पाटीदार पिता रामेंग पाटीदार एवं रवीन्द्र पाटीदार पिता अक्षयराज पाटीदार की ओर से प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण अमरजी पाटीदार एवं कचरूलाल पाटीदार के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है तथा विद्वान न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/डिक्री दिनांक 20.08.2025 पुष्ट किया जाता है। तदनुसार अपील की डिक्री बनाई जावे। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जावे।

(राम सुरेश प्रसाद)

12. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाना खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)